

**कार्यालय सहायक आयुक्त(प्रथम), देवस्थान विभाग जयपुर**  
 क्रमांक:-एफ.1(48)लेखा /डेकोरेशन /2024 / 4972      दिनांक:- 24/10/2024  
**निविदा सूचना**

इस कार्यालय के अधीन जयपुर जिले के 32 मंदिरों में पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व पर अन्नकूट प्रसादी/विशेष भोग के लिए मंदिरों में उपलब्ध कराने हेतु अनुज्ञापत्रधारी संवेदकों/फर्मों /वितरकों/ आपूर्तिकर्ताओं से सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। पूर्णरूपेण भरी हुई निविदाएं दिनांक 28.10.2024 को दोपहर 12 बजे तक आद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त निविदाओं की बोली दिनांक 28.10.2024 को दोपहर 12.30 बजे उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा की अन्य शर्तें/विवरण की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा सूचना मय प्रपत्र व शर्तें विभागीय वेबसाईट [devasthan.rajasthan.gov.in](https://devasthan.rajasthan.gov.in) व [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

क्र.सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	धरोहर राशि
1	2	3	4	5
1	जयपुर जिले में स्थित 32 मंदिरों में पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व पर अन्नकूट प्रसादी/ विशेष भोग मंदिरों में उपलब्ध कराने हेतु	960000/-	500/-	19200/-

नोट :-निविदा के दस्तावेजों का विस्तृत विवरण <https://devasthan.rajasthan.gov.in>, [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।

2  
 (रतन लाल योगी)  
 सहायक आयुक्त (प्रथम),  
 देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांक:-एफ.1(48)लेखा /डेकोरेशन /2024 / 4973-79      दिनांक:- 24/10/2024  
 प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
- संयुक्त निदेशक, देवस्थान विभाग शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- श्रीमान सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को सूचना पट्ट पर चर्चा करने हेतु।
- श्रीमान आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर को सूचना पट्ट पर चर्चा करने हेतु।
- श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर, को सूचना पट्ट पर चर्चा करने हेतु।
- कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।

2  
 (रतन लाल योगी)  
 सहायक आयुक्त (प्रथम),  
 देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर  
 क्रमांक:-एफ.1(48)लेखा / डेकोरेशन / 2024 / ५९७२

दिनांक:- 24/10/2024

निविदा पत्र

जयपुर जिले में स्थित 32 मंदिरों में पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व पर अन्नकूट प्रसादी / विशेष भोग मंदिरों में उपलब्ध कराने हेतु

अनुमानित लागत	960000/- रुपये		
धरोहर राशि	19200/- रुपये	निविदा शुल्क	500/- रुपये
निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक व समय	दिनांक 28.10.2024	समय	प्रातः 11.00 बजे तक
सीलबन्द निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	दिनांक 28.10.2024	समय	दोपहर 12 बजे
निविदा खोलने की दिनांक	दिनांक 28.10.2024	समय	दोपहर 12.30 बजे

**नोट :-**

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अपनी दरें संलग्न सम्बन्धित प्रपत्र—अ में ही अंकित करनी है।
- बिड सीलबंद लिफाफे में ही प्रस्तुत की जायेगी।
- बिड संबंधी शर्तें एवं अन्य जानकारी सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर के नोटिस बोर्ड, [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है।
- बिड में वांछित समस्त प्रमाण पत्र एवं सूचनायें बिड डॉक्यूमेन्ट के साथ हस्ताक्षर कर बिडर्स द्वारा सीलबंद लिफाफे में नियत अवधि में जमा करवानी हैं।
- निर्धारित समय एवं तिथि तक बोली प्रतिभूति राशि एवं बिड फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक प्राप्त नहीं होने पर ऐसे बिडर्स की बिड स्वीकार नहीं की जाएगी।
- बिडर्स को अपना नाम तथा मोबाइल नम्बर, डी.डी./बैंकर्स चैक के पृष्ठ भाग पर लिखना अनिवार्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
 नाम .....  
 पता .....  
 मो./दूरभाष नं. ....

सहायक आयुक्त (प्रथम)  
देवस्थान विभाग, जयपुर

# कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

## प्रपत्र-अ

जयपुर जिले में स्थित 32 मंदिरों में पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व पर अन्नकूट प्रसादी / विशेष भोग मंदिरों में उपलब्ध कराने हेतु मंदिरान् की सूची:-

क्रं.सं.	मंदिर का नाम	तैयार अन्नकूट प्रसादी प्रति व्यक्ति/प्रति थाली दर मय दोने-पत्तल व गिलास आदि (कुल मंदिर 32) राशि रूपये में
1	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायणजी (बाईजी), बड़ी चौपड़ जयपुर	
2	मंदिर श्री बृजनिधि जी, चांदनी चौक जयपुर	
3	मंदिर श्री आनन्द कृष्ण बिहारी जी चांदनी चौक जयपुर	
4	मंदिर श्री गोवर्धननाथ जी, चौड़ा रास्ता जयपुर	
5	मंदिर श्री बलदेव जी परशुरामद्वारा, आमेर रोड जयपुर	
6	मंदिर श्री बृजराज बिहारी जी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	
7	मंदिर श्री राधा गोपाल जी, जयनिवास उद्यान, जयपुर	
8	मंदिर श्री गंगा जी, जयनिवास उद्यान, जयपुर	
9	मंदिर श्री मदन मोहन जी, हवामहल के सामने जयपुर	
10	मंदिर श्री चन्द्र बिहारी जी, बड़ी चौपड़ जयपुर	
11	मंदिर श्री किल्की जी, सिरहड्योढ़ी बाजार, जयपुर	
12	मंदिर श्री आनन्द बिहारी जी, बड़ी चौपड़, जयपुर	
13	मंदिर श्री नवल किशोर जी, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, जयपुर	
14	मंदिर श्री विश्वेश्वरजी चौड़ा रास्ता जयपुर	
15	मंदिर श्री जगतेश्वर जी, जौहरी बाजार, जयपुर	
16	मंदिर श्री रामेश्वर जी, आमेर जयपुर	
17	मंदिर श्री रामेश्वर जी, पुराना घाट, जयपुर	
18	मंदिर श्री चन्द्रेश्वर जी, सिरहड्योढ़ी बाजार, जयपुर	
19	मंदिर श्री प्रतापेश्वर जी, चांदनी चौक, जयपुर	
20	मंदिर श्री महताब बिहारी जी, त्रिपोलिया बाजार जयपुर	
21	मंदिर श्री जानकी बल्लभ जी, छोटी चौपड़ जयपुर	
22	मंदिर श्री विजय गोविन्द जी, हवामहल, जयपुर	
23	मंदिर श्री गोपाल जी गाड़ीवालान, पुरानी बस्ती, जयपुर	
24	मंदिर श्री राधा कृष्ण जी, पुरानी बस्ती, जयपुर	
25	मंदिर श्री रसिक बिहारी जी, छोटी चौपड़ जयपुर	
26	मंदिर श्री राधा मनोहर जी, झालानियों का रास्ता जयपुर	
27	मंदिर श्री रघुनाथ जी राधा निवास, रामगढ़ मोड़ जयपुर	
28	मंदिर श्री राधा बल्लभ जी, पुरानी बस्ती, जयपुर	
29	मंदिर श्री फतेह कुंज बिहारी जी, पुराना घाट, जयपुर	
30	मंदिर श्री मुरली मनोहर जी, गणगौरी बाजार, जयपुर	
31	मंदिर श्री रत्न बिहारी जी, चांदी की टकसाल जयपुर	
32	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी बाग जयनिवास जयपुर	

1. गोवर्धन पर्व पर उपरोक्त मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी वितरण हेतु आवश्यक दौना, पत्तल एवं बर्तन सामग्री स्वयं उपलब्ध करानी होगी। इसमें समस्त व्यवस्थाएं यथा सामग्री एवं लेवर, वितरण आदि संवेदक की होगी। अन्नकूट भोग मंदिर में ही बनवाया जाकर

  
**सहायक आयुक्त (प्रथम)**  
 देवस्थान विभाग, जयपुर

वितरित किया जावेगा। अन्नकूट सामग्री में बाजरा, हरे मूँग, लाल चोला देशी, चावल, कड़ी, खीर, मिक्स सब्जी, पुड़ी, पपड़ी, मालपुये आदि होगी।

2. मंदिरों में प्रसादी पाने वालों की संख्या 500 व्यक्ति प्रति मंदिर अनुमानित है।
3. मंदिरों की संख्या में कभी व बढ़ोत्तरी एवं परिवर्तन करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। संख्या बढ़ने पर न्यूनतम दर से कार्य करवाया जावेगा।
4. मैं/हम ऊपर वर्णित दरों अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सहमत हूं/हैं।

स्थान:—

दिनांक:—

हस्ताक्षर निविदा दाता मय सील

*Z*  
सहायक आयुक्त (प्रथम)  
देवस्थान विभाग, जयपुर

## निविदा की शर्तें

- बोलीदाता को निर्धारित शुल्कों के बैंकर्स चैक/डी.डी. जो कि सहायक आयुक्त(प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर के नाम से जयपुर में देय हो, निश्चित तिथि व समय तक कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग जयपुर में जमा करवाने होंगे। इनके समय पर प्राप्त नहीं होने पर इनके अभाव में उनकी बिड़ नहीं खोली जावेगी।
- सशर्त बोलियां स्वीकार नहीं की जावेगी।
- निविदा/संविदा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
- निविदादाताओं को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कर कठौती करने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
- निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड, की प्रति बिड़ के साथ संलग्न करनी होगी।
- संविदा अवधि में सफल बोलीदाता एवं विभाग के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार उदयपुर का निर्णय अंतिम होगा।
- बोली खुलने के पश्चात बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गई दरों को वापस लेता है या कार्यादेश पश्चात कार्य नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- बोलीदाता की फर्म का पूर्ण पता, टेलीफोन/मोबाईल नम्बर/ई-मेल बोली प्रपत्र में यथा स्थान अंकित करना होगा। कार्यावधि में टेलीफोन/मोबाईल/पते आदि में परिवर्तन की स्थिति में तुरन्त कार्यालय को सूचित करना होगा।
- निविदा की सभी शर्तों की पालना बोलीदाता द्वारा की जायेगी। उनके द्वारा किसी भी शर्त अथवा आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो निविदा निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है तथा फर्म को DEBAR भी किया जा सकता है।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम प्राप्त दर को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है।
- कार्यस्थल पर किसी प्रकार की मंदिर की धार्मिक भावना एवं मर्यादा अनुसार गैर कानूनी गतिविधियां व कार्य में अनियमितता पाये जाने पर विभाग द्वारा निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा अमानत राशि जब्त करते हुए बोलीदाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्येक प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर (फर्म की मोहर सहित) किया जाना आवश्यक है।
- मूल दरे एवं जी.एस.टी की दरें बिल में पृथक—पृथक अंकित करनी होगी जो कि निविदा दर से अधिक नहीं होगी। यदि फर्म माल, एवं सेवा कर के दायरे में आती है तो फर्म को माल एवं सेवाकर स्वयं के स्तर से सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना होगा, तथा मांगने पर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- निविदादाता द्वारा दी गई दरे सभी कर सहित होगी।
- सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश जारी होते ही निर्धारित समयावधि में कार्यादेश अनुसार आयटम उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी।
- कार्यादेश अनुसार कार्य समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में कार्यादेश का 10 प्रतिशत प्रति मंदिर के हिसाब से शास्ति लगाई जायेगी।

2  
सहायक आयुक्त (प्रथम)  
देवस्थान विभाग, जयपुर

17. सफल बोलीदाता को कार्यादेश जारी होते ही 500/- रुपये स्टॉप पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
18. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
19. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

  
सहायक आयुक्त (प्रथम),  
देवस्थान विभाग, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर